10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5रु. भारत पाँच रुपये

5रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

(154)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल म0प्र0

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा.सं./2018/0382

प्र0क0— Entry 15

आवेदक अभिभाषक श्री संजय नायक द्वारा भोपाल बेंच मे प्रस्तुत किया। 28/12/17

श्रीमति उर्मिला शर्मा
पत्नि श्री कैलाश नारायण शर्मा
निवासी—खुशीपुरा चांदबढ़ भोपाल .... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

म0प्र0 शासन
द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय
वृत गोविन्दपुरा, भोपाल .... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता

निगरानी विरूद्ध तहसीलदार वृत गोविन्दपुरा भोपाल के प्रकरण कं. 3/अ–16/16–17 में पारित आदेश दिनांक–22/12/2017 से दुखित एवं असंतुष्ट होकर प्रस्तुत है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता के स्वत्व व अधिपत्य का एक मकान रकबा 775 वर्गफिट स्थित खुशीपुरा चांदबढ़ भोपाल में है जो कि वर्तमान में रिक्त पड़ा हुआ है । निगरानीकर्ता को जानकारी हुई कि उसके मकान की नीलामी की कार्यवाही तहसीलदार महोदय के यहां की जा रही है जानकारी एवं प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर पता चला कि उसके विरूद्ध 1,29,655/– (एक लाख उन्तीस हजार छैः सौ पचपन) रूपये की अदायगी निकाली गयी है परन्तु उक्त प्रकरण में अदायगी से संबंधित मूल प्रकरण नस्तीबद्ध नहीं है एवं मूल प्रकरण की सत्यापित प्रतिलिपि हेतु निगरानीकर्ता के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है परन्तु कार्यालय में मूल प्रकरण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । इस कारण निगरानीकर्ता उक्त निगरानी प्रस्तुत कर रही है।

निगरानी के आधार

1. यह कि अधीनस्थ तहसीलदार महोदय द्वारा जारी किया गया आदेश दिनांक–22/12/17 विधि के प्रावधानों के एवं नैसर्गिंक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है ।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/R/भोपाल/Rev./2018/382

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	